

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

No. 463]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

का.आ. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 41(अ), तारीख 07 जनवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 7 जनवरी, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) काळम संख्या (2) से सम्बन्धित जिला “अदिलबाद” तालुक “भैसा” से संबंधित अंतिम काळम में गांव का नाम प्रविष्टि “(1) भैसा” के पश्चात प्रविष्टि “(2) मांटेगाव” अंतः स्थापित की जाए,

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37014/18/2013-/एन एच डीपी-IVए]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 41(अ), तारीख 7 जनवरी, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2015

S.O. 638(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 41(E), dated the

7th January, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 7th January, 2014, namely :—

In the Schedule to the said notification,

(a) against column No. (2) relating to District “Adilabad” Taluk “Bhainsa”, in the last column pertaining to name of village, after entry “(1) Bhainsa” the entry namely “(2) Mategaon” shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The principal notification was published vide S.O. 41(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th January 2014.